न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 11/2019

1. काशीराम पुत्र श्री लालुराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।
2. ग्राम पंचायत देईदास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर।
3. हरदत पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. दलीप पुत्र श्रीमनफुल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. साहबराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. वेदप्रकाश पुत्र श्री प्रेमाराम जाति शर्मा निवासी भगवान तहसील नोहर।

—अप्रार्थीगण

7. अमरसिंह पुत्र लालुराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. दलीप पुत्र श्री लालुराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज. अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण संख्या 11/2019 बअनवानी हरदत आदि बनाम अमरसिंह आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर जिसकी रूह से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 8 के पक्ष में जारी पटटे दिनांक 02.12.1999 के पटटे खारिज किये गये को अपास्त किये जाने हेतु।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः— 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः— 31.08.2020**

प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण सं0 11/2019 बअनवानी हरदत आदि बनाम अमरसिंह आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

अप्रार्थीगण स0 3 ता 6 द्वारा मातहत अदालत के समक्ष दिनांक 11.11.1990 व 02.12.1999 को जारी पटटे खारिज करने हेतु अपील प्रस्तुत कर कथन किया गांव भगवान की आबादी क्षेत्र में देव स्थल है जिस जगह पर रामदेव जी, हनुमान जी, भौमिया जी, भभूंता जी, शिवजी, माता रानी देवी देवताओं के मन्दिर है जहा पर ग्रामवासी व आस पास के गांव के लोग उक्त देवताओं में आस्था रखते है। तथा पूजा अर्चना करने मन्दिर में जाते है। तथा उक्त मन्दिरों की जगह का दिनांक 11.02.1986 को पटटा भी जारी किया गया है। जो पूर्व से पश्चिम तक 375 फूट, दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम 395 फूट पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण 200 फूट व पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण 350 फूट क्षेत्र की जगह का जारी शुदा है। उक्त देवस्थान की पटटा शुदा जगह के उत्तर में टोपरिया–ढण्ढेला आम रास्ता, दक्षिण में सड़क आम पूर्व में सड़क व पश्चिम मे जोहड़ है। जिस पर प्रत्यार्थी स0 1 व 2 ने दिनांक 11.11.1990 को व प्रत्यार्थी स0 2 ता 3 ने दिनांक 02.12.1999 को पटटे बना लिये उक्त पटटे खारिज किये जावे। जिस पर प्रत्यार्थीगण स0 1 ता 3 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया कि अपीलार्थीगण कोई सामाजिक कार्यकर्ता नही है ना ही उन्हें ग्रामवासियों द्वारा उक्त अपील पेश करने के लिए अधिकृत किया गया है। अपील राजनैतिक रंजिश वंश बिना अधिकारिता के प्रस्तुत की गई है। प्रत्यार्थी स0 1 अमरसिंह प्रत्यर्थी स0 2 काशीराम के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 को जारी पटटे देवस्थान की जगह के नही है बल्कि गांव में अन्यत्र आबादी भुमि के है। जिस पटटा शुदा भूखण्डो पर मकान निर्माण कर बहुत पुराने समय से ही रहवास करते आ रहे है। उक्त पटटो में भूखण्ड के जो आसा पास दर्शाये गये है व प्रत्यार्थीगण के पक्ष में दिनांक 02.12.1999 को जारी पटटा शुदा भूखण्ड के आसा पासा से मेल नही खाते है। जिस पर मातहत अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज किये बिना विधि की अवहेलना में प्रार्थी व अप्रार्थीण स0 8 का दिनांक 02.12.1999 को खारिज कर दिये तथा अप्रार्थी स0 7 व प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 के पटटे बहाल कर दिये। इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने प्रार्थी व अप्रार्थी स0 7 के पक्ष में जारी पटटे दिनांक 11.11.1990 व प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 8 के पक्ष में जारी दिनांक 2.12.1999 को जारी पटटे के विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 3 ता 6 ने मातहत अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई अर्थात चार पटटो के आदेशो के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई जबकि प्रत्येक आदेश की अलग–अलग अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। उक्त कानूनी बात को नजर अन्दाज करते हुए मातहत अदालत ने विधि की स्पष्ट अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है प्रथम दृष्टया मातहत अदालत का निगरानीधीन निर्णय इन्ही आधारों पर अपास्तीनय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. दिनांक 26.05.2018 को सभी ग्रामवासी की आपसी सहमति से समझौता हुआ था जिस समझौता वार्ता के दौरान अप्रार्थीगण उपस्थित थे व उक्त समझौता से मन्दिर के मुख्य चौगान के उतर में जोहड का रास्ता व काशीराम, दलिपसिंह बैनिवाल के प्लाट होना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण को उक्त समझौता से पूर्व ही पटटो दिनांक 2.12.1999 के जारी होने की जानकारी थी। तथा पटटो को बहाल रखने जानकारी थी। मातहत अदालत ने सन 1990 व 1999 के पटटो की मियाद बाहर अपील स्वीकार कर कतई विधि की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जबकि मातहत अदालत मियाद की अवधि बढाने में सक्षम नही थी इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

5. प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के पक्ष में जारी दिनांक 2.12.1999 देवस्थन की भूमि के नही है ना ही कोई रास्ता की जगह के है। उक्त भूमि कब्जा शुदा जगह थी जिस पर 50 वर्ष पुराने कच्चे मकान थे जिनमें प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की रिहायशी मकान थे। तथा जिनमें रिहायश करते आ रहे थे। गांव में अन्यत्र दिनांक 11.11.1990 को जारी पटटे की जगह पर होने से उक्त देवस्थान के उतर में स्थित प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने कब्जा शुदा जगह पर मकान निर्मित नही किया जिस कारण उक्त जगह का विनियमितीकरण का पटटा जारी नही हो सकने के कारण प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के निवेदन पर उक्त पटटा दिनांक 2.12.1999 को विक्रय विलेख का किमतन पटटा जारी किया गया जो नियमानुसार समस्त प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिवत पटटा जारी किये गये है। तथा अब पक्के मकान बनाने में समस्त जमा पूंजी खर्च की है तथा रिहायश करते आ रहे है मातहत अदालत ने पंचायत से कोई रिकार्ड तलब नही किया तथा आबादी का नक्शा भी तलब नही किया, ग्राम सचिव के बयान नही लिए तथा पटवारी हल्का से साक्ष्य तलब नही की बिना किसी साक्ष्य के मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढ़ंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढ़ंग से निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

6. दिनांक 2.12.1999 को प्रार्थी व अप्रार्थी स0 8 के पक्ष में पटटा जारी किया गया है जो विधिवत जारी किया गया है जो किमतन जारी किया गया है पटटा स0 42 मिसल स0 31 –9899 तारीख दायरा दिनांक 27.10.98 जारी दिनांक 2.12.1999 पर ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत देईदास के हस्ताक्षर मोहर संहित है। इसके अतिरिक्त उक्त पटटे शुदा भूखण्ड के आसा पासा में कही भी मन्दिर की जगह दर्ज नही है। तथा इसके विपरित रामदेव जी, बाल्मिकी जी, भभूताजी व हनुमान जी भोमियो जी आदि देवस्थान के नाम से पटटा संख्या 50 जारी किया गया है व 117638/8 वर्गफुट जगह का है जो दिनांक 1.12.1986 को विधि विरूद्ध जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत देईदास द्वारा जारी पटटा 4 बीघा जमीन का जारी किया गया है वह निःशुल्क जारी किया गया है। उपरोक्त जगह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की नही है। ना ही आबादी भूमि के लिए आरक्षित की हुई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

थी। ग्राम पंचायत देईदास को 11763–8/8 वर्गफुट यानि 4 बीघा भूमि का पटटा ग्राम पंचायत को जारी करने का क्षेत्राधिकार भी हासिल नही है उक्त पटटा जो मन्दिर वगैराह के नाम जारी शुदा है वह शुरू से ही शुन्य है मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय पारित अपास्तनीय है।

7. न्यायालय श्रीमान अपर जिला कलैक्टर राजस्व नोहर की पत्रावली संख्या 24/2002 बअनवानी दलीपसिंह बनाम पंचायत समिति नोहर आदि निर्णय दिनांक 15.5.2002 के अनुसार मातहत अदालत को जॉच के आदेश व निर्देश दिये थे। जिसके अनुसार भूमि आबादी है या नही जॉच की जावे। परन्तु मातहत अदालत ने उक्त पत्रावली के संबंध मे कोई जॉच नही की तथा न्यायालय हाजा के निर्णय की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

8. प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर लाखों रूपयें लगााकर मकानात बना रखे है। तथा 40–50 वर्ष की रिहायश है। राजनैतिक रंजिश वंश प्रार्थी के व तरतीबी अप्रार्थीगण के मकानात तुडवाने हेतु मातहत अदालत ने जानबुझकर गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। तथा आबादी भूमि में स्थित मकानात के पासा कोई देवस्थान की भूमि नही है इसे अतिरिक्त देवस्थान विभाग ने मन्दिरो के लिए पटटा जारी करने हेतु कोई आवेदन पेश नही किया ना ही कोई विज्ञप्ति व आज्ञप्ति व आपति नोटिस आदि पेश नही किये तथा प्रकाशन भी नही करवाया तथा ढुडी नही तथा पिटाई तथा मन्दिर के नाम पटटो की कोई मिसल भी तैयार नही की कोई दायर मिसल फैसला कुछ भी तैयार नही किया तथा पंचायत रिकार्ड में उक्त कोई (Procecding) कार्यवाही दर्ज नही है। मन्दिर के नाम से नियम विरूद्ध पटटा व फर्जी पटटा के आधार पर मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानी निर्णय दिनांक 9.7.2019 प्रकरण स0 11/2019 बअनवानी हरदत आदि बनाम अमरसिंह आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर अपास्त फरमाई जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड की तलबी की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की काशीराम व अमरसिंह के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 को पटटे जारी हुए तथा दलिप के पक्ष में दिनांक 02.12.1999 को पटटा जारी हुआ। इनके विरूद्ध गैर निगरानीकार ने अपील प्रस्तुत की थी। तीनों पटटो की एक ही अपील पेश की जबकि अलग अलग आदेश की अलग अलग अपीले पेश होनी थी। दिनांक 26.05.2018 को इनका

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

समझौता हुआ, जिसमे मोजिज लोगों के हस्ताक्षर थे इनके भी हस्ताक्षर थे। अतः इनको जानकारी तो पहले ही थी। ये देवस्थान की जगह पर पटटे जारी होने की बात कहकर आये है। किन्तु देवस्थान विभाग को पक्षकार भी नही बनाया है। ग्राम पंचायत से कोई रिपोर्ट भी तलब नही की गई। पत्रावली में आबादी का कोई नक्शा भी पेश नही है। देवस्थान विभाग में 6 मंदिर है जिनके नाम से भी पटटा 117638 वर्गफुट का है। इतना पटटा पंचायत जारी भी नही कर सकती है। जहा ये पटटे जारी होना बताते है, वहां हमारे मकान बने हुए है व रिहायश है। इन्होने पंचायत समिति में जो अपील प्रस्तुत की है उसमें इनको ग्राम पंचायत ने अधिकृत नही किया था। इनका कोई हित नही है। ये जनहित का कहकर आये है। इनकी अपील चलने योग्य नही थी। हमारी निगरानी स्वीकार करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की दिनांक 24.06.2019 को हरदत, साहबराम, दलिप व वेदप्रकाश ने पंचायत समिति में अपील पेश की। दिनांक 11.11.1990 व दिनांक 02.12.1999 को जो पटटे जारी किये गये है वो देवस्थान विभाग को जारी पटटे संख्या 50 की भूमि पर जारी किये है। उन्हें खारिज करें। व पटटो की आड़ में जो अतिक्रमण किया है उसे हटाया जाये। पटटा देवस्थान विभाग को दिनांक 11.02.1986 को जारी हुआ था। जवाब में इन्होंने बताया की दिनांक 11.11.1990 के पटटे उस स्थान के न होकर अन्य स्थान के है। दिनांक 02.12.1999 को पटटा दलिप काशी वगैरह को नियम 166 के तहत जारी किया है तो फिर दो आदेशो की एक अपील का प्रश्न कहा आता है। पंचायत समिति ने दिनांक 11.11.1990 के पटटो को सही माना हैएवं दिनांक 02.12.1999 को गलत माना है। यह पूर्व में 1986 को देवस्थान के पटटो के उपर बनाया गया है। अतः खारिज किया गया। निगरानी में केवल दिनांक 02.12.1999 के पटटे को ही देखना है कि क्या वो देवस्थान की जगह पर बनाया गया है या नही। दिनांक 26.05.2018 का समझोता इस प्रसंग में न होकर गलियों में विवाद से संबंधित था न कि 1999 में जारी पटटे से संबंधित था। समझोता साधारण पेपर पर है। उसका कोई महत्व नही है। इनकी रूलिंग लागू नही होती। 1999 में एक ही पटटा जारी हुआ था न कि दो अलग अलग पटटे जारी हुए थे। दलिप काशी वगैरह में अमरसिंह कहा से आ गया उसका तो इसमें नाम भी नही है। किसी स्थान पर पूर्व में जारी पटटे के स्थान पर नया पटटा कैसे जारी हो सकता है। ये देवस्थान के पटटे को बहुत बड़ा मानते है किन्तु यह अपील इस पटटे की नही है। यदि ये उसको गलत मानते है तो उसकी अपील करते। एक अपील की थी उसमें यह माना की देवस्थान के पटटे के स्थान पर जारी अन्य पटटे खारिज माने जावे अर्थात अपील खारिज हो गयी। पशुपालन विभाग को जारी पटटे की अपील हुई थी उसमें भी देवस्थान विभाग को जारी पटटे पर होने से उसे खारिज किया गया था। दिनांक 16.06.2020 को ग्राम पंचायत ने विकास अधिकारी व तहसीलदार को ले जाकर इनका अतिक्रमण हटा दिया गया व इस स्थान पर पंचायत सार्वजनिक शोचालय का निर्माण कर रही है जो अब बनकर तैयार है। इनका कब्जा होता तो पंचायत शोचालय निर्माण कैसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

करती। यदि खाली जगह थी तो निलामी में पटटा जारी हो सकता था इस तरह 200 रूपये में नही हो सकता था। इनकी निगरानी जनहित व न्यायाहित में खारिज करे।

पुनः अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की ये जिन निर्णय की बात कर रहे है उनकी हमने निगरानी पेश की है वो रिमाण्ड हुई है। उसका उभी फैसला नही हुआ है व न्यायालय में निर्णय की पालना न करके फाईल बनाकर निर्णय कर दिया। न्यायालय के स्टे के उपरान्त व निगरानी के चलते यह निर्णय किया है जो की न्यायालय की अवहेलना है।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2019 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील के निर्णय में प्रत्यर्थी संख्या 1 अमरसिंह व प्रत्यर्थी संख्या 2 काशीराम के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 को जारी पटटे बहाल रखे गये है एवं प्रत्यर्थीगण दलिप व काशी के पक्ष में दिनांक 02.12.1999 को जारी पटटे खारिज किये गये है। इस प्रकार दिनांक 11.11.1990 और 02.12.1999 को जारी पटटो पर विचार करते हुए अपील के अन्तर्गत एक से अधीक पटटो पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्रत्येक पटटे के लिए पृथक–पृथक अपील की जानी चाहिए थी इसके साथ ही पत्रावली में उपलब्ध अपर जिला कलक्टर राजस्व नोहर की पत्रावली 24/2002 निर्णय दिनांक 15.05.2002 द्वारा देवस्थान को जारी पटटे दिनांक 11.02.1986 के संबंध में प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये थे की उक्त पटटा आबादी भूमि में है या नही इसकी जांच की जावें किन्तु पत्रावली में इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया, जिससे कोई जांच होना साबित होता हो। देवस्थान के लिए जारी पटटा जैसा की अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में बताया की वह 117638 वर्ग फीट का है। अतः इतने बडे क्षेत्रफल का पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय को पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2002 के निर्देशों की पालना में उक्त पटटा आबादी भूमि में है या नही इसकी जांच करनी चाहिए थी। साथ ही यह भी जांच करनी चाहिए थी की 117638 वर्ग फीट का पटटा ग्राम पंचायत कैसे जारी कर सकती है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच नही की गई एवं एक ही अपील में एक से अधीक पटटो के संबंध में निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

31/08/2020

(नारायण सिंह राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर जिला हनुमानगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)